उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक उड्डयन अनुभाग

संख्या:64/2017/912/छप्पन-2017-46/2011

लखनऊ: दिनांक: 15 सितम्बर, 2017

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अधीन परिचालन इकाई, उ0प्र0 लखनऊ में पायलट (रोटर विंग) के पद पर ग्रुप कैप्टन सुनील कौरा को रूपये 1,80,000/- (रूपये एक लाख अस्सी हजार मात्र) के नियत मासिक पारिश्रमिक तथा अनुमन्य विशेष उड़ान भत्ते पर कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1672/छप्पन-2011-41/2011, दिनांक 25 अगस्त, 2011 द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष (दो वर्ष) की अवधि के लिए संविदा सेवा के आधार पर नियुक्त किया गया था, जिसके अनुपालन में ग्रुप कै0 कौरा ने दिनांक 03 अक्टूबर, 2011 को कार्यभार ग्रहण किया। तदुपरान्त पायलट (रोटर विंग) के पद पर ग्रुप कै0 कौरा की संविदा अवधि को शासनादेश संख्या-991/छप्पन-2013-46/2011, दिनांक 19 सितम्बर, 2013 द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2013 से दिनांक 02 अक्टूबर, 2015 तक एवं शासनादेश संख्या-1424/छप्पन-15-46/2011, दिनांक 05 नवम्बर, 2015 द्वारा दिनांक 03 अक्टूबर, 2015 से अग्रेत्तर 02 वर्ष की अवधि के लिए वर्तमान पारिश्रमिक/शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसकी अवधि दिनांक 02 अक्टूबर, 2017 को समाप्त हो रही है।

2- कै0 कौरा द्वारा विभाग में अग्रेतर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की गयी है एवं कै0 कौरा की सेवाओं की अभी निदेशालय में आवश्यकता है। अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल पायलट (रोटर विंग) के पद पर कै0 सुनील कौरा की संविदा अवधि अग्रेत्तर 01 वर्ष दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 से 02 अक्टूबर, 2018 तक के लिए वर्तमान मासिक पारिश्रमिक, अनुमन्य उड़ान भत्तों तथा अनुमन्य वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि पर पूर्व शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- कै0 कौरा को उक्त संविदा अवधि में अनुमन्य नियत मासिक पारिश्रमिक एवं अनुमन्य उड़ान भत्ते के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते देय नहीं होगें। उपयुक्त शर्तो के अधीन रहते हुए उन पर संविदा सेवा अवधि में अन्य शर्तें वही लागू होंगी, जो अस्थायी कर्मचारियों पर लागू होती हैं और वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 के सहायक नियम-157-ए तथा तत्सम्बन्धी शासनादेशों के अन्तर्गत उन्हें अस्थायी राज्य कर्मचारियों की भॉति अवकाश देय होगा।

4- कै0 कौरा के संविदा पर नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

सूर्य पाल गंगवार

विशेष सचिव

कै0 सुनील कौरा (संविदा)
पायलट (रोटर विंग),
नागरिक उड्डयन निदेशालय,
उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:64/2017/912(1)/छप्पन-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कैप्टन सुनील कौरा से निर्धारित प्रपत्र पर पुनः अनुबन्ध पत्र निष्पादित कराकर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- कार्मिक अनुभाग-1
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
डा0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।